

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग। (जिला पंचायत राज शाखा)

-: आदेश :-

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 80 दिनांक 28.04.2016 के आलोक में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के 10 प्रतिशत राशि से ग्राम पंचायतों के लिए कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 02/02/2017 को आयोजित दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के दिनांक-17/4/2017 को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल परिलब्धि 17,000/- (सतरह हजार) रुपये मात्र प्रति माह मानदेय पर नीचे दिये गए शर्तों के साथ नीचे वर्णित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है।

क्र0	कोटि	नियुक्त कनीय अभियंता का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता
1	सामान्य	विकास कुमार यादव	सहदेव चंद्र यादव	C/0 देवेन्द्र प्रसाद, लक्ष्मी सिनेमा के नजदीक, सुलेमान कॉलोनी के विपरीत, जिला- हजारीबाग। पिन- 825301
2	सामान्य	राकेश शर्मा	राम जनम मिस्त्री	राकेश शर्मा, चौहान हाउस, रामाधार इनक्लेव तीसरा तल्ला, आनंदपुरी कॉलोनी, डाक घर- कॉलेज मोड, जिला- हजारीबाग।
3	सामान्य	दिनेश दास	किशुन रविदास	ग्राम- बसरिया हरिजन बस्ती, डाक घर- कुसुण्डा (गोन्दूडीह), थाना- , जिला- धनबाद।
4	सामान्य	नवल किशोर कुमार	कुलेश्वर यादव	ग्राम- चिहुटिया, डाक घर- बिरनी, थाना- गावां, जिला- गिरीडीह। 815313
5	सामान्य	मो0 खुर्शीद आजाद	मो0 इस्लाम अंसारी	C/0 अंजार बुक डिपो, आजाद नगर, डाक घर- सिवानडीह, थाना- माराफारी, जिला- बोकारो। 827210
6	सामान्य	अरविन्द कुमार राहुल	राजेन्द्र ठाकुर	ग्राम+डाक घर+थाना- प्रताप पुर, जिला- चतरा। 825405

7	अ०पि०वर्ग	राकेश कुमार गुप्ता	स्वर्गीय रविन्द्र नाथ	C/० दीपक कुमार गुप्ता, कुम्हार टोली, पारनाला, पीपल चौक के निकट, जिला- हजारीबाग।
8	अ०पि०वर्ग	मो० शमसुद्दीन अंसारी	मो० सरफुद्दीन अंसारी	ग्राम- अधोरी, डाक घर- बांका, थाना- मेराल, जिला- गढ़वा। 822133
9	अ०पि०वर्ग	बिजय कुमार पाल	चलीतर पाल	ग्राम+डाक घर- कुटमु, थाना- पाण्डु, जिला- पलामु। 822124
10	पि०वर्ग	प्रवीण कुमार	धर्मदेव राम दाँगी	ग्राम- सुजी, डाक घर- दादपुर, थाना- चौपारण, जिला- हजारीबाग।
11	पि०वर्ग	उत्तम कुमार महतो	मधराम महतो	ग्राम- बेलकुरा, डाक घर- देवीयाना, थाना- निरसा, जिला- धनबाद।
12	अनु० जाति	मुन्ना कुमार	धरमा भुईयां	ग्राम- कुड्डी, डाक घर+थाना- सिमरिया, जिला- चतरा। 825103
13	अनु० जन जाति	रमेश बेदिया	नारायण बेदिया	ग्राम+डाक घर- कुण्डरु, थाना+जिला- रामगढ, 825101
14	दिव्यांग	प्रदीप कुमार जायसवाल	राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल	ग्राम+डाक घर- खैराचातर, थाना- कसमार, जिला- बोकारो। 827302

सेवा शर्त:-

1. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।
2. कनीय अभियंता जिला पंचायत राज पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान समर्पित करेंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है, जिसे नियमित/स्थायी करने का सरकार को कोई दायित्व नहीं होगा।
4. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी इस नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये


- जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मियों की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
5. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को किसी अन्य स्थान/ संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 6. एक वर्ष पश्चात संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
 7. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानेदय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
 8. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
 9. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मियों को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
 10. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
 11. नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।


उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक 304/.../2017

दिनांक 18/05/2017

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को अनुपालनार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अपना योगदान जिला पंचायत राज पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर योगदान करना सुनिश्चित करें।


उपायुक्त,
हजारीबाग।